

**फार्म डी - 6**

(देखें नियम-4)

गारण्टी विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)		(राशि ₹ करोड़ में)			
पिछले वर्ष के अंत में याचित बकाया गारण्टी	पिछले वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि	चालू वर्ष के दौरान याचना संभावित बकाया गारण्टी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में जोड़	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से आहरण	चालू वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

टिप्पणियाँ:

- जी.आर.एफ. के नियमानुसार, हर वर्ष के दौरान सरकार से अपेक्षित है कि याचित बकाया गारण्टियों के न्यूनतम  $1/5$  की समान राशि तथा वर्ष के दौरा जारी वर्धित गारण्टियों के परिणाम स्वरूप याचित समराशि का अंशदान करें।
- पिछला वर्ष से तात्पर्य है कि वर्ष का पहला वर्ष।
- राज्य में गारंटी विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया है।